

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या - 16/2018
कैलाश माँझी बनाम ओ0एन0जी0सी0

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

04-01-2019

- :: आदेश :: -

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अविलोकन किया। आवेदक कैलाश माँझी, पिता-बढ़न माँझी, ग्राम-केरीबन्दा, पो0-हेसागढ़ा, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपत्ति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु नीचे वर्णित भूमि को पट्टा (लीज) पर देने की अनुमति आवेदन पर वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अपर समाहर्ता, रामगढ़ से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकबा)(एकड़)
केरीबन्दा	माण्डू/124	04	47	0.25 एकड़
कुल रकबा				0.25 एकड़ (पचीस डिसमील)

अपर समाहर्ता, रामगढ़ का पत्रांक 07/रा0, दिनांक 02.01.2019 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं उक्त जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचलाधिकारी, माण्डू द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अपर समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49 के तहत उक्त प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती की अनुमति हेतु ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपत्ति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु अनुशंसा की गई है। साथ ही प्रतिवेदित है कि आवेदित भूमि मौजा-केरीबन्दा, के खाता नं0-04 सर्वे खतियान में ठाकुर माँझी के नाम से रैयती दर्ज है, जिसकी जमाबन्दी राजस्व पंजी-II पृ0सं0-2/1 में खतियानी रैयत के नाम से कायम है। आवेदक को आपसी घरेलु बंटवारा के तहत उक्त प्रश्नगत भूमि मौजा-केरीबन्दा, खाता नं0-04, प्लॉट नं0-47, रकबा-4.23 एकड़, मध्ये रकबा-0.25 एकड़ भूमि प्राप्त है एवं अनुमति के उपरांत आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं।

अपर समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपत्ति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु पट्टा (लीज) में 12 (बारह) वर्षों की अवधि के लिए प्रश्नगत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है:-

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत द्वितीय पक्ष ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपत्ति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) किसी भी कारण से प्रश्नगत भूमि को किसी तीसरे पार्टी को न तो हस्तांतरित करेंगे और न ही पट्टे पर देंगे। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नहीं हो तो विपक्षी बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष को वापस करेंगे।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(3) के आलोक में बिक्रेता द्वारा क्रेता को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जायेगा।

3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत मूखण्ड का हस्तानांतरण नहीं होगा और यह दर किसी भी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नहीं होगा।

4. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।

5. क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू-लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तानांतरण के पश्चात् राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

7. क्रेता-बिक्रेता भूमि हस्तानांतरण के निमित्त निबंधन दस्तावेज तैयार कर अंचल अधिकारी, माण्डू के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा भूमि हस्तानांतरण हेतु निबंधन दस्तावेज में उपरोक्त सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन हुआ है, सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बिक्रेता भूमि हस्तानांतरण के पश्चात् भूमि हीन की श्रेणी में नहीं आते हैं एवं बिक्रेता हस्तानांतरित भूमि के वास्तविक स्वामित्व/रैयत/हिस्सेदार एवं दखलकार की भूमि है, सुनिश्चित कर अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा निबंधन हेतु अनुमति के पश्चात् निबंधन किया जा सकेगा।

8. अवर निबंधक, निबंधन से पूर्व क्रेता तथा विक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

उक्त विवेचन/शर्तों के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।